

फॉर्म II

(सार्वजनिक सूचना का प्रपत्र)


राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड  
दूसरी मंजिल, नोवस टावर, प्लॉट नंबर 18, सेक्टर-18  
गुरुग्राम, हरियाणा-122015

सूचना

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के तहत)

1. राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नंबर-1097, सेक्टर ए, पॉकेट ए, वसंत कुंज, नई दिल्ली, भारत-110070 में है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित है, ने केंद्र सरकार के समक्ष एक आवेदन किया है। विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत संचरण लाइन (ट्रांसमिशन लाइन), सब-स्टेशनों और अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में पारेषण लाइसेंस प्रदान करने के लिए, जिसका विवरण दिया गया है :

क्रमांक संख्या	लाइन का नाम/उप-स्टेशन (स्थान)	रेखा लंबाई / क्षमता	अनुमानित समापन कॉस्ट या लेवलाइज्ड ट्रांसमिशन चार्ज (यदि आवेदक का चयन किया जाता है के अनुसार इसके लिए दिशा - निर्देश प्रतिस्पर्धी बोली)	चालू अनुसूची	टिप्पणियां
संचरण लाइन (ट्रांसमिशन लाइन)					
1.	पचोरा (जिला आगर मालवा) से भोपाल 400 केवी डी/सी लाइन	143.415 किलोमीटर, 400kV डी/सी लाइन			NA
उप-स्टेशनों (सब- स्टेशनों)					



2.	मध्य प्रदेश के पचोरा आगर मालवा जिला	400 केवी (ट्रांसफॉर्मर: 3x500 एमवीए) (खाड़ियों की संख्या: 11 एआईएस 400 केवी बे) (प्रतिक्रियाशील और कैपेसिटिव मुआवजा: 1x125 एमवीएआर और 2x80 एमवीएआर 400 केवी रिएक्टर)	लेवलाइज्ड ट्रांसमिशन चार्ज 408.19 मिलियन रुपए प्रति वर्ष	प्रभावी तिथि <sup>1</sup> से 18 महीने	NA
		220 केवी (खाड़ियों की संख्या: 11 एआईएस 220 केवी बे)			
3.	भोपाल	400 केवी (खाड़ियों की संख्या: 04 एआईएस 400 केवी बे)			NA

2. आयोग के समक्ष दाखिल किए गए पूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज वेबसाइट [www.grrtl.com](http://www.grrtl.com) पर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।

आवेदन का निरीक्षण कंपनी के दूसरी मंजिल, नोवस टॉवर प्लॉट नंबर 18, सेक्टर-18 गुरुग्राम, हरियाणा-122015 के कार्यालय में श्री प्रकाश चंद्र त्रिपाठी या आयोग के कार्यालय में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है।

3. आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, तीसरी और चौथी मंजिल, चंद्रलोक भवन, 36, जनपथ, नई दिल्ली -11000 के समक्ष आपत्ति (ओं)/ सुझाव (ओं) की एक प्रति के साथ नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, दायर किया जाना चाहिए।

स्थान: गुरुग्राम  
दिनांक: 10-06-2022



*P. C. Tripathi*  
श्री प्रकाश चंद्र त्रिपाठी  
(सहायक महाप्रबंधक)  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

<sup>1</sup> ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट दिनांक 02.12.2021 के क्लॉज 2.1 के अनुसार, प्रभावी तिथि शेष खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि यानी 30.05.2022 है।